प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीन'

प्रश्न सं. [क्र. 6678]

[21/3/2017] 51

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2229] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2013/आश्विन 2, 1935

No. 2229] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013/ASVINA 2, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2013

का.आ.2901(अ).-केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, तंत्र के समाधानप्रद रूप से कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 30 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"30 (क) मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय न करने की दशा में, मजदूरी मांगने वाला मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए मस्टर के बंद होने के दिन से सोलहवें दिन से परे पंद्रह दिन के विलंब के लिए असंदत्त मजदूरी के एक चौथाई की दर से और यदि मस्टर के बंद होने के दिन से तीस दिन की अवधि के परे विलंब होता है तो, असंदत्त मजदूरी के आधे की दर से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) उस तारीख से जिसको प्रतिकर संदेय होता है, से पंद्रह दिन से परे प्रतिकर के संदाय में विलंब का भुगतान उसी रीति में किया जाएगा जैसाकि मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए किया जाता है ।

(ग) मजदूरी के संदाय में जवाबदेही का सुनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न कृत्यकारियों या निकायों द्वारा मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के लिए राज्य मजदूरी के अवधारण और संदाय की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित करेंगे, अर्थात्:-

4111GI/2013

(i) कार्य का माप;

(ii) मस्टर रोल और मापों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सॉफ्ट (एनईआरजीएसॉफ्ट) में प्रविष्ट करना ;

(iii) मजदूरी सूचियों का सृजन करना;

(iv) निधि अंतरण आदेशों को अपलोड करना (एफटीओज) ; और

(v) विनिर्दिष्ट कृत्य के निर्वहन के लिए उत्तरदायी कृत्यकारी या अभिकरण के साथ प्रक्रमवार अधिकतम समय-सीमा विहित करना ।

(घ) एनआरईजीएसॉफ्ट या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख और मजदूरी मांगने वालों के खातों में मजदूरी जमा करने की तारीख के आधार पर मजदूरी मांगने वालों को संदेय प्रतिकर की स्वतः संगणना करने के लिए उपबंध होगा ।

(ङ) राज्य सरकार सम्यकतः सत्यापन करने के पश्चात् उपपैरा (क) में विहित समय सीमा के भीतर मजदूरियों के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर की रकम का संदाय करेगी और तत्पश्चात् मजदूरियों के संदाय में विलंब के लिए इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की संदत्त रकम को, सम्यक सत्यापन के पश्चात्, उन कृत्यकारियों या अभिकरणों से वसूलेगी जो संदाय में विलंब के लिए उत्तरदायी हैं ।

(च) जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चय करें कि मजदूरियां या प्रतिकर, यदि कोई हो, उपपैरा (क) के अधीन तदनुसार विहित सीमाओं के भीतर दिए जाते हैं और मजदूरियों और प्रतिकर की संगणना के लिए प्रणाली को प्रचालित रखें ।

(छ) मजदूरियों के संदाय में विलंब के दिनों की संख्या, वह प्रतिकर जिसके लिए पात्र हैं और वास्तविक रूप से संदत्त को मानीटरी और सूचना प्रणाली (एमआईएस) और श्रम बजट में उपदर्शित किया जाएगा ।"

[फा. सं. जे-11011/2/2010 -एमजीएनआरईजीए]

आर. सुब्रहमण्यम, संयुक्त सचिव

टिप्पणः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची (2) का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

1. का.आ. 802 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008
2. का.आ. 2188(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008
3. का.आ. 2999 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का.आ. 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009
5. का.आ. 2266(अ), तारीख 30 सितंबर, 2011
6. का.आ.1022 (अ), तारीख 4 मई, 2012

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2013.

S.O.2901(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so for satisfactory working of the mechanism for effective implementation of the Act for the purposes of Section 27 of the Act, hereby makes the following further amendments in Schedule II to the said Act, namely:—

In the said Act, in Schedule II, for paragraph 30, the following paragraph shall be substituted, namely:--

"30. (a) In case, if the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive compensation for the delay in the payment of wages, at the rate of one-fourth of the unpaid wages, up to the delay of fifteen days beyond the sixteenth day of closure of the muster and, at the rate of one-half of the unpaid wages, if the delay is beyond the period of thirty days from the day of closure of the muster.

(b) Any delay in payment of compensation beyond fifteen days from the date it becomes payable, shall be addressed in the same manner as to that of delay in payment of wages.

(c) For the purpose of ensuring accountability in the payment of wages and to fix the responsibility in the delay of payment of wages by various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages, namely:—

(i) measurement of work;

(ii) entering the muster rolls and measurements into the National Rural Employment Guarantee Act Soft (NREGASoft);

(iii) generation of wage lists;

(iv) uploading Fund Transfer Orders (FTOs); and

(v) prescribe stage-wise maximum time-limits along with the functionary or agency responsible for discharging the specific function.

(d) The NREGASoft or Information Technology System (IT System) shall have a provision to automatically calculate the compensation payable to the wage seeker based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages into the accounts of the wage seekers.

(e) The State Government shall pay the compensation amount for delay in the payment of wages after due verification, within the time-limits prescribed in sub-paragraph (a) and thereafter recover the compensation amount so paid towards delay in the payment of wages, from the functionaries or agencies responsible for the delay in the payment, after due verification.

(f) It shall be the duty of the District Programme Coordinator or Programme Officer to ensure that the wages and compensation, if any, are made properly according to the time-limits prescribed under sub-paragraph (a) and to put the system in operation for calculation of the wages and compensation.

(g) The number of days of delay in the payment of wages, compensation entitled to and actually paid shall be reflected in the Monitoring and Information System (MIS) and the Labour Budget."

[F. No. J-11011/2/2010-MGNREGA]

R. SUBRAHMANYAM, Jt. Secy.

NOTE: Schedule II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended *vide* number S.O. 324 (E) dated the 6th March, 2007, and subsequently amended *vide*:

1. S.O. 802 (E) dated the 2nd April, 2008.
2. S.O. 2188 (E) dated the 11th September, 2008.
3. S.O. 2999(E) dated the 31st December, 2008.
4. S.O.513 (E) dated the 19th February, 2009.
5. S.O. 2266 (E) dated the 30th September, 2011.
6. S.O. 1022 (E) dated the 4th May, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.